राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्त, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर
फोन:- 0141-5196302,310 फैक्स 5196317

क्रमांक एफ 19(1)( )/मअ/मदि/2013/7679-712 जयपुर, दिनांक:- 21/2/2013

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

विषय :- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1-8 मार्च 2013 को सप्ताहपर्यन्त विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रति वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में सप्ताहपर्यन्त दिनांक 02.03.13 से 08.03.13 तक महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण एवं संरक्षण के लिए विभिन्न सूचनाओं के प्रचार-प्रसार एवं समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता बढाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

ग्राम सम्पर्क अभियान का आयोजन साथिन कार्यक्रम मद से किया जाना है। अतः इस अभियान में संलग्न सूची के अनुसार व्यय होने वाली कुल राशि 29,60,000/- रूपये का व्यय साथिन कार्यक्रम मद के वर्ष 2012-13 के जिलों में उपलब्ध राशि में से कर लिया जावें। जिलेवार राशि का विस्तृत विवरण एवं कार्यक्रम संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार
पृष्ठ 1 से 8

आयुक्त(मअ) एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज. जयपुर

क्रमांक एफ 19(1)( )/मअ/मदि/2013/7713-787 जयपुर, दिनांक:- 21/2/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिला परिषद्, समस्त
3. कार्यक्रम निदेशक, आरआरटीसी, समस्त
4. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।

अति. निदेशक
महिला अधिकारिता
राज. जयपुर

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सप्ताह पर्यन्त आयोजित कार्यक्रम निम्नानुसार होगें

संयोजकः— मुख्यालय पर पदस्थापित उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी

दिनांक	कार्यक्रम /गतिविधि	विवरण	स्थान	बजट	विशेष विवरण /प्रतिभागी	संभागी
2-3-4 मार्च 5-6 मार्च 2013	साथिन द्वारा ग्राम संपर्क अभियान	साथिन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न महिला मुद्दों पर जागरुकता कार्यक्रम हेतु ब्लॉक से प्रारंभ करके ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग की विभिन्न योग्यताओं की जानकारी देने हेतु रथ बनवाना प्रस्तावित है। रथ को कुल तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा तथा तीनों ओर सामाजिक, आर्थिक एवं संरक्षण विषयों पर आधारित चित्र एवं सूचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। यह रथ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध रहेगा तथा साथिन समयसारणी/Shedule के अनुसार अपने ग्राम पंचायत पर रथ ले जाकर ग्राम संपर्क कर अभियान करेगी। ग्राम सम्पर्क यात्रा के साथ कला जत्था, कठपुतली एवं ढोल प्रदर्शन भी करवाया जायेगा। रथ पर प्रत्येक दिवस में तीन ग्राम पंचायतों से सम्पर्क करेगा। यह आयोजन उपनिदेशक द्वारा एनजीओ के माध्यम से करवाया जा सकता है। संदर्भ सामग्री फ्लैक्स हेतु सीडी में भिजवाई जायेगी। इस अभियान के दौरान प्रत्येक पंचायत पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने व बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ का आयोजन किया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।	पंचायत समिति मुख्यालय	जयपुर के समस्त 13 ब्लॉक्स X 20000=260000/- जयपुर जिला मुख्यालय =20000/- संभाग मुख्यालय (6) में प्रत्येक संभाग में 5 ब्लॉक्स 6X5 X 20000=6,00,000/- शेष प्रत्येक 26 जिलों में प्रति जिले के 4 ब्लॉक 26X4 X 20000=20,80,000/-	जिला-ब्लॉक मुख्यालय पर यात्रा कलेक्ट्रेट से प्रारम्भ होगी। की वापसी उप निदेशक मबावि कार्यालय पर होगी। वापसी पर महिला सशक्तिकरण यात्रा के अनुभवों का आदान-प्रदान, रिपोर्टिंग, प्रस्तुतीकरण, मीडिया से वार्ता एवं कार्यक्रम का मीडिया कवरेज करवाना आदि कार्य किये जाऐंगे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति से प्रारंभ होगी वापसी CDPO कार्यालय पर होगी	पंचायती राज प्रतिनिधी, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाऐं
7 मार्च 2013	महिला एवं किशोरी शक्ति मेला महिला एवं किशोरी सशक्ति करण मेला	➢ किशोरियों द्वारा अनुभवों का आदान-प्रदान ➢ सांस्कृतिक कार्यक्रम ➢ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अन्तर्गत चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण ➢ मेले में स्वास्थ्य परीक्षण मेडीकल टीम द्वारा ➢ एक्सपेजर विजिट (10 सबला जिलों यथा डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा, भीलवाडा, जोधपुर, झालावाड, श्रीगंगानगर,बीकानेर, जयपुर, बाडमेर) (सबला जिलों के अतिरिक्त 23 जिले) विभागीय योजनाओं की जानकारी • किशोरियों का अनुभव आदान-प्रदान • पोस्टर एवं नारा लेखन प्रतियोगिता		50,000 रूपये राशि प्रति जिला सबला योजनान्तर्गत दिया जाना प्रस्तावित है। कुल 23 जिलों हेतु प्रति जिला 15,000 रूपये राशि किशोरी शक्ति योजना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक मबावि, कार्यक्रम अधिकारी म. अ., मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीडिया प्रतिनिधी एंव स्वयं सेवी संस्थाऐं सबला जिलों के अतिरिक्त 23 जिलों में मेलें के लिए व्यय किशोरी शक्ति योजना के बजट से किया जायेगा	महिलाऐं, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,किशोरियां
8 मार्च 2013	मीडिया कार्यशाला एवं महिला सशक्तिकरण रैली, बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये शपथ	➢ मीडिया कार्यशाला का विषय विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं पर चर्चा/सात सूत्रीय कार्यक्रम पर चर्चा, ग्राम पंचायतों पर आयोजित की गई सभाओं के अनुभवों पर चर्चा आदि ➢ 1 से 7 मार्च तक आयोजित कार्यकमों पर चर्चा	जिला मुख्यालय	5000X33 जिले अतः कुल राशि रूपये 165000	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, मबावि, कार्यक्रम अधिकारी, मअ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीडिया प्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी संस्थाएं	कुल 40 प्रतिभागी

1

1

ग्राम सम्पर्क अभियान के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश

उद्देश्य :–

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण एवं संरक्षण के लिए विभिन्न सूचनाओं के प्रचार–प्रसार एवं समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता बढाना।

निर्देश :–

1. ग्राम सम्पर्क अभियान हेतु ब्लॉक व ग्राम पंचायतों का चयन उपनिदेशक(म.बा.वि.)व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा
2. इसके तहत एक पिक–अप (छोटा लोडिंग टेम्पों) किराये पर लिया जा सकता है।
3. रथ के तीनो ओर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं संरक्षण संबंधित मुद्दे फ्लेक्स के रथ मे लगवाये जाएगें। जिसकी सीडी विभाग द्वारा भिजवायी जा रही है तथा उपनिदेशक (म.बा.वि.) स्तर पर इसे फ्लेक्स पर छपवाया जाना है।
4. रथ के साथ ढोल की आवश्यक व्यवस्था की जाए।
5. रथ के साथ एन.जी.ओ. के लोग, साथिन, आंगनबांडी कार्यकर्ता, सहयोगिनी आदि रहेंगी।इनके साथ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण एवं संरक्षण संबंधित मुद्दों पर आधारित नारे युक्त पट्टीयॅा होगी।
6. जिला–ब्लॉक मुख्यालय पर यात्रा कलेक्ट्रेट से प्रारम्भ होगी। उसकी वापसी उप–निदेशक (मबावि) कार्यालय पर होगी।
7. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति से प्रारंभ होगी वापसी ब्व्छ कार्यालय पर होगी।
8. जिला ब्लॉक मुख्यालय पर रथ यात्रा जिला प्रमुख द्वारा तथा अन्य ब्लॉक मुख्यालय पर प्रधान द्वारा हरी झण्डी दिखाकर आरम्भ की जायेगी ।
9. वापसी पर महिला सशक्तिकरण यात्रा के अनुभवों का आदान–प्रदान, रिपोर्टिंग, प्रस्तुतीकरण, मीडिया से वार्ता एवं कार्यक्रम का मीडिया कवरेज करवाना आदि कार्य किये जाऐंगे।

10.रथ प्रतिदिन 3 ग्राम पंचायतों में सम्पर्क करेगा जिसकी पूर्व सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

11.रथ पहुँचने से पूर्व ही संबंधित ग्राम पंचायत में एस.एच.जी. महिलाएं पंचायत मुख्यालय में एकत्र करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.रथ यात्रा किसी एन.जी.ओ. अथवा अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से करवायी जा सकती है। जिसका चयन उपनिदेशक (म.बा.वि.) स्तर पर किया जायेगा।

13.ग्राम पंचायत पर विभागीय कार्मिक उपस्थित सभी ग्रामीणों के समक्ष घटता लिंगानुपात, सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्यां स्थिरीकरण, लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, बाल विवाहों की रोकथाम एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण हेतु संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर जागरूता एवं प्रचार –प्रसार करेगे।

14.इस अभियान के दौरान प्रत्येक पंचायत पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने व बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ का आयोजन किया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

15.ग्राम सम्पर्क अभियान की प्रतिदिन की कार्य प्रगति समाचारपत्रों में प्रकाशित करवायी जाए।

महिला एवं किशोरी शक्ति मेला

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8मार्च) के अवसर पर ऐसे वातावरण का निर्माण करने जिसमें किशोरियां अधिकारों और सम्मान की खुली हवा में उन्मुक्त सांस ले सकें तथा अवसरों तक पहुंच सुनिश्चत हो सके, इस उद्देश्य से दिनांक 7.3.13 को जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया जाना है। इस हेतु प्रति सबला जिला राशि रूपये 50000/– का उपयोग निम्न गतिविधियों के आयोजन हेतु किया जाएगा–

क्र.स	गतिविधि	विवरण	बजट
1.	जिला स्तरीय शैक्षणिक भ्रमण	जिला कलेक्ट्रेट, विधिक सेवा प्राधिकरण, उपनिदेशक कार्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी किशोरियों को शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से दी जानी है। इस हेतु प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 किशोरियां और अधिकतम 200 किशोरियों को जिला स्तर पर एकत्र कर इस माध्यम से लाभान्वित किया जाना है।	किशोरियों के आने–जाने हेतु अधिकतम 100 रू0 (वास्तविक व्यय के अनुसार) 200X70 =14,000 रू0 का व्यय किया जा सकेगा
2.	जिला स्तरीय समरोह	इसमें उक्त सबला किशोरियां, उनके साथ आने वाली साथिन, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं महिला पर्यवेक्षक के अतिरिक्त विभागीय एवं अन्य विभागों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि सम्मिलित होगें	लगभग 350 संभागियों के अल्पाहार हेतु 350X50 =17500 रू0 का व्यय किया जा सकेगा
3.	पुरस्कार वितरण	उक्त जिला स्तरीय समारोह में दिंनाक 24 जनवरी 2013 को आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं (पोस्टर, निबंध और नारा लेखन) में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाली किशोरियों को क्रमशः 500, 300 एवं 150रू0 की राशि के पारितोषिक से पुरस्कृत किया जाएगा	तीनो प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाली किशोरियों हेतु 2850 रू0 का व्यय किया जा सकेगा
4.	विविध व्यय	फोटोग्राफी, बैनर एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु	15650 रू0 का व्यय किया जा सकेगा

बाल विवाह रोकने हेतु शपथ

" मैं .... शपथ लेती/लेता हूं कि मैं अपने लड़के का 21 वर्ष एवं लड़की का 18 वर्ष पूर्व विवाह नहीं करवाऊंगी/करवाऊंगा और ना ही किसी बाल विवाह में भाग लूंगी/लूंगा तथा आस-पास बाल विवाह होने की संभावना होने पर जिला प्रशासन व उपखण्ड अधिकारी को सूचित करूंगी/करूंगा।"

कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु ग्राम सभा में ली जाने वाली शपथ

मैं शपथ लेती हूं/लेता हूं कि, समाज में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करूंगा/करूगीं। यदि कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या का जघन्य अपराध होते हुये देखता हूं/देखती हूं तो उसे रोकने का प्रयास करूंगा/करूगीं। समाज को कन्या भ्रूण हत्या मुक्त बनाने का प्रसास करूंगा/करूगीं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क

क्र0 सं0	जिला	कार्यक्रम	राशि	
		अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क		
अजमेर संभाग			**20000**	
1	अजमेर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
2	भीलवाडा		80000	
3	नागौर		80000	
4	टोंक		80000	
भरतपुर संभाग			**20000**	
5	भरतपुर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
6	धौलपुर		80000	
7	करौली		80000	
8	सवाई माधोपुर		80000	
बीकानेर संभाग			**20000**	
9	बीकानेर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
10	हनुमानगढ		80000	
11	चूरू		80000	
12	श्री गंगानगर		80000	
जयपुर संभाग			**20000**	
13	अलवर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
14	दौसा		80000	
15	झुन्झुनू		80000	
16	जयपुर	जयपुर जिले के सभी 13 ब्लॉक्स हेतु	260000	
17	सीकर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क	80000	
जोधपुर संभाग			**20000**	
18	बाडमेर	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
19	जैसलमेर		80000	
20	जालौर		80000	
21	जोधपुर		80000	
22	पाली		80000	
23	सिरोही		80000	
कोटा संभाग			**20000**	
24	बारां	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
25	बूंदी		80000	
26	कोटा		80000	
27	झालावाड		80000	
उदयपुर संभाग			**20000**	
28	बांसवाडा	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्राम सम्पर्क प्रति जिला 20000x 4 ब्लॉक्स= 80000	80000	
29	चित्तोडगढ		80000	
30	डूंगरपुर		80000	
31	राजसमंद		80000	
32	उदयपुर		80000	
33	प्रतापगढ		80000	
		योग	**2960000**	

नोटः– प्रत्येक संभाग पर 20000 एवं प्रत्येक जिले के 4 ब्लॉक्स हेतु 20000 हजार रूपये प्रति ब्लॉक्स एवं जयपुर जिले के सभी 13 ब्लॉक्स के लिये

8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मीडिया कार्यशाला एवं रैली के आयोजन हेतु

क्र0 सं0	जिला	राशि
1	अजमेर	10000
2	अलवर	10000
3	बांसवाडा	10000
4	बारां	10000
5	बाडमेर	10000
6	भरतपुर	10000
7	भीलवाडा	10000
8	बीकानेर	10000
9	बूंदी	10000
10	चित्तोडगढ	10000
11	चूरू	10000
12	दौसा	10000
13	धौलपुर	10000
14	डूंगरपुर	10000
15	हनुमानगढ	10000
16	जयपुर	10000
17	जैसलमेर	10000
18	जालौर	10000
19	झालावाड	10000
20	झुन्झुनू	10000
21	जोधपुर	10000
22	करौली	10000
23	कोटा	10000
24	नागौर	10000
25	पाली	10000
26	राजसमंद	10000
27	स0माधोपुर	10000
28	सीकर	10000
29	गंगानगर	10000
30	सिरोही	10000
31	टोंक	10000
32	उदयपुर	10000
33	प्रतापगढ	10000
	योग	**3,30,000**

8